न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

डोमन महतो वो० प्रथम पक्ष

बनाम्

धनेश्वर महतो वो० द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 13/2023 धारा 145 द०प्र०सं०

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं0 क. ता0 .... से .... तक

जिला .... सं0 .... सन् 20..........

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10/4/2023	आवेदक/~~आवेदिका~~ डोमन महतो पिता/~~पति~~ स्व० इन्दो महतो ग्राम बनपुरा थाना बगोदर जिला गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा बनपुरा खाता 22 प्लॉट 989, 332 रकवा 1.80 एकड़, 75 डी० चौहद्दी : उ0- जंगल, ठाकुर महतो वो० द0- सिमाना मौजा रम्भा, ठाकुर महतो वो० पू0- धनी मियाँ वो० ईश्वर सिंह (बथान) प0- राजपत महतो में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी बगोदर/थाना प्रभारी बगोदर से माँगें। अभिलेख दिनांक 25/4/2023 को उपस्थापित करें। 10/4 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	110 10/4/23

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
11/5/2023	प्रथम पक्ष द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (धनेश्वर महतो एवं अन्य 4) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बगोदर से प्रतिवेदन/मंतव्य की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी बगोदर के पत्रांक 460 दिनांक 8/5/2023 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 30/5/2023 को कागजात-पूरक की मांग की जाती है। क्यों नहीं पक्ष विशेष के पक्ष में दखल-कब्जा सम्पुष्ट कर दिया जाये। **विवादग्रस्त भूमि का विवरण** मौजा-बनपुरा, थाना नं०-113, खाता नं०-22, प्लॉट नं०-989, 332, रकबा-1.80 एकड़ 75 डी० चौहद्दी उत्तर-जंगल, ठाकुर महतो वगैरह, दक्षिण-सिमाना मौजा कमरा, ठाकुर महतो वगैरह, पूरब-धनी मियाँ वगैरह, ईश्वर सिंह (बकास्त), पश्चिम-गनपत महतो। अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख 3

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30/5/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष बकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष विलम्ब से वकालतनामा के साथ उपस्थित। To 13/06/23	
13/6/23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 4/7/23 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
4/7/23	प्रथम पक्ष बकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष का W/S दाखिल। अगली तिथि को प्रथम पक्ष गवाह प्रस्तुत करें। To 10/10/23	W/s by 2nd party filed.
10/10/23	प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष बकालतन हाजिर। अभिलेख दिनांक 31/10/23 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
31/10/23	प्रथम पक्ष उप० द्वितीय पक्ष बकालतन हाजिर। प्रथम पक्ष का गवाह सं. 01 रामू दास की गवाही पूर्ण। उक्त गवाह को वापस लेने का अनुरोध प्रथम पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा किया गया।	
22.12.		

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	allowed and next date of hearing 22/11/23 | 31/10/23	
22/11/23	उभय पक्ष उप०। प्रथम पक्ष का गवाह-02 की गवाही तथा प्रतिपरीक्षण पूर्ण। गवाह को मुक्त किया जाता है। अगली तिथि 20/12/23 22/11/23	
20/12/23	उभय पक्ष बकालतन दाखिल। अभिलेख दिनांक 31/1/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
31/1/24	उभय पक्ष बकालतन दाखिल। अभिलेख दिनांक 19/3/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
19/3/24	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष बकालतन दाखिल। अभिलेख दिनांक 12/6/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
12/6/24	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष बकालतन दाखिल। अभिलेख दिनांक 14/8/24 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22/08/24	अभिलेख उपस्थापित दिनांक 22/7/24 से 21/8/24 तक अनुसचिवीय कर्मचारी हड़ताल में रहने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। उभय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 23/10/24 को रखें। [signature] 22.08.2024 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
23/10/24	उभय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 7/1/25 को रखें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
07-1-25	उभय पक्ष कचालतन उपस्थित। प्रथम पक्ष आवेदन देकर मुकदमा वापस लेने का अनुरोध करते हैं। स्वीकृत। द्वितीय पक्ष सहमत। आदेश हेतु। **आदेश** चूँकि प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में वाद को निष्पादित किया जाता है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आदेश का अंश होगा। [signature] 07-1-25	

दण्डा

न्यायालय अनुमंडल ~~पदा~~धिकारी, ~~सदर~~, गिरिडीह

बगोदर-सरिया

वाद संख्या – 13/2023

डोमन महतो वगैरह ———————————————————— प्रथम पक्ष

बनाम

धनेश्वर महतो वगैरह ——————————————————— द्वितीय पक्ष

दरखास्त जानिब प्रथम पक्ष वास्ते उपरोक्त वाद वापस लेने के सम्बंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि :–

1. यह कि उपरोक्त वाद प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया है जो हुजूर के न्यायालय में लंबित है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष सदस्य धनेश्वर महतो वगैरह ने न्यायालय सिविल जज सिनीयर डिवीजन गिरिडीह में ओरीजनल सुट नं0 – 179/2023 दाखिल किया है जिस वाद में हमलोग प्रतिवादी है और नोटीश मिलने के पश्चात न्यायालय में हाजीर होकर जबाब भी दाखिल कर दिये हैं।
3. यह कि उपरोक्त वाद में वर्णित जमीन भी ओरीजनल सुट नं0 – 179/2023 में दर्ज है।
4. यह कि जब उपरोक्त वाद सिविल जज सिनीयर डिवीजन में चल रहा तो इस वाद का यहाँ लंबीत रहना न्याय उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः श्रीमान से प्राथाना है कि उपरोक्त वाद वापसी के आधार पर समाप्त किया जाए।

इस कार्य हेतु के लिए प्रथम पक्ष श्रीमान के सदा अभारी बने रहेगें।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.02.19 16:43:17 +05:30
Location: 192.168.1.10

डोमन महतो